217

मध्यप्रदेश शासन
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग
मंत्रालय, भोपाल।

:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक **02.2014**

एफ 16–46/2013/बी–ग्यारह मेसर्स व्ही. ई. कमर्शियल व्हीकल्स लि. का औद्योगिक क्षेत्र बगरोदा जिला भोपाल में व्यवसायिक वाहन निर्माण परियोजना की स्थापना संबंधी प्रस्ताव पर राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया कि मेसर्स व्ही. ई. कमर्शियल व्हीकल्स लि. की परियोजना को उद्योग संवर्धन नीति एवं कार्ययोजना, 2010 (यथा संशोधित 2012) की कण्डिका 27 अंतर्गत रू. 500 करोड़ से अधिक स्थाई पूंजी निवेश के ऑटोमोबाइल उद्योगों के लिए कस्टोमाईज्ड पैकेज प्रदान करने हेतु प्रकरणवार निर्णय लिये जाने संबंधी प्रावधान तथा परियोजना में वृहद निवेश तथा बडी संख्या में रोजगार निर्मित होने की संभावना के दृष्टिगत निम्नानुसार सुविधाएं दी जावे–

(1) उद्योग निवेश संवर्धन सहायता– 100 प्रतिशत की दर से 20 वर्षों के लिये इनपुट टैक्स क्रेडिट को घटाये बिना ग्रॉस वेट एवं सीएसटी लायबिलिटी के आधार पर।

(2) प्रवेश कर से छूट– प्रथम कच्चा माल क्रय दिनांक से 15 वर्षों के लिये।

(3) रियायती दरों पर भूमि आवंटन– ग्राम बगरोदा, जिला भोपाल में अवस्थित 466 एकड़ शासकीय भूमि मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, भोपाल को औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने हेतु हस्तांतरित की गई है। उपरोक्ति भूमि में से 150 एकड़ अविकसित भूमि, को औद्योगिक क्षेत्र बगरोदा से पृथक किया जावे। मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक भूमि एवं औद्योगिक भवन प्रबंधन नियम, 2008 की कण्डिका क्रमांक 9 (vi) सहपठित नियम के संदर्भ में दी गई व्याख्या, जिसमें अविकसित भूमि के आवंटन दरों का प्रावधान है, के अनुसार उक्त 150 एकड भूमि को वर्ष 2013–14 के लिये प्रचलित कलेक्ट र गाइडलाईन दर में 10 प्रतिशत राशि जोड कर भूमि की प्रब्याजि निर्धारित करते हुए कम्प नी की प्रश्नाधीन परियोजना को औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, भोपाल के माध्यम से आवंटित की जावे।

(4) कम्पनी की शेष अन्य मांगों को अमान्य किया जावे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(एम.एस. सोलंकी)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग

216

क्रमांक एफ 16–46/2013/बी–ग्यारह भोपाल, दिनांक 25 02.2014

प्रतिलिपि,

1. प्रमुख सचिव. मध्यप्रदेश शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
2. अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, वाणिज्यिक कर विभाग, उर्जा विभाग, भोपाल।
3. उद्योग आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल।
4. प्रबंध संचालक, म.प्र. ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कॉर्पोरेशन लि., एमपी स्टेट इन्डस्ट्रियल डेव्हलपमेन्ट कॉर्पोरेशन लि. भोपाल।
5. आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल ।
6. कलेक्टर, भोपाल ।
7. संयुक्त संचालक उद्योग, परिक्षेत्रीय उद्योग कार्यालय, भोपाल ।
8. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (भोपाल) लि., भोपाल ।
9. महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, भोपाल।
10. आथोराइज्ड सिग्नेटरी, मेसर्स व्ही. ई. कमर्शियल व्हीकल्स लि., बिलडिंग न. 96, सेक्टर 32, गुडगॉव, हरियाणा कम्पनी को निर्धारित समयावधि में प्रस्तावित निवेश करने सम्बंधी अनुबंध एम.पी. ट्राइफेक के साथ निष्पादित करना होगा।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग